

## \*थाना दातागंज पुलिस द्वारा अमित की हत्या के तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार \*

श्री आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बदायूँ के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी दातागंज, जनपद बदायूँ के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत उच्चस्तर की सुरागरसी, पतारसी व मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना दातागंज जिला बदायूँ मय पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 25.03.2024 को अमित कुमार उर्फ सुमित कुमार S/O रामसिंह निवासी उगनपुर थाना दातागंज बदायूँ की हत्या कर देने के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 142/24 धारा 302/201 भादवि में वांछित अभियुक्त राजपाल पुत्र हजारी निवासी ग्राम नवदिया थाना दातागंज जिला बदायूँ को दिनांक 03.04.2024 को ग्राम पडेली तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- मृतक अमित उर्फ सुमित उपरोक्त अभियुक्त उमेश की पत्नी रिंकी उपरोक्त से मोबाइल पर बातें करता था जिससे परेशान होकर अभि0गण द्वारा मृतक अमित उर्फ सुमित उपरोक्त की हत्या कर देना व शव को मोटरसाईकिल से ले जाकर अपनी पत्नी की साड़ी से लपेटकर प्लास्टिक के कट्टे में डालकर ग्राम मूढा पुख्ता के पास रामगंगा नदी में पानी में फेंक दिया था।

पूछताछ का विवरण- दौराने पूछताछ राजपाल उपरोक्त ने बताया कि मेरी पुत्री का नाम रिंकी है। तथा मेरे दमाद का नाम मुकेश कुमार पुत्र लालूराम नि0 ग्राम वृन्दावन थाना बिनावर जिला बदायूँ हैं। अमित उर्फ सुमित कुमार पुत्र रामसिंह है जो ग्राम उगनपुर थाना दातागंज का निवासी है। अमित उर्फ सुमित मेरे लडके तोताराम का साला है। अमित कुमार उर्फ सुमित कुमार मेरी बेटी रिंकी को फोन करके उसको लगातार परेशान करता था तथा उल्टी सीधी बातें करता था व मेरे दमाद मुकेश को भी फोन पर धमकी देता था यह बात मेरे दमाद मुकेश व मेरी पुत्री ने मुझे बताया थी। इसी बात के चलते हम लोगो ने होली पर इस घटना को अंजाम देने की योजना बनायी। मैंने अपनी पुत्री व दामाद को होली पर अपने घर बुला लिया। होली वाली रात मेरी पुत्री रिंकी ने फोन करके अमित कुमार उर्फ सुमित कुमार को मिलने के लिये बुलाया। हम लोग अमित उर्फ सुमित कुमार को प्राथमिक विद्यालय नवदिया सबलपुर के पीछे ले गये थे। मेरी बेटी रिंकी व दमाद ने अमित कुमार उर्फ सुमित को पकड लिया था। तब मैंने अमित कुमार उर्फ सुमित के सिर में सरिया मार दी थी।

जिससे वह जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया था। मेरी बेटी व दामाद ने अमित उर्फ सुमित कुमार का गला दबा दिया था। थोड़ी देर में वह मर गया। इसके बाद हमने अमित उर्फ सुमित कुमार की लाश को एक साडी से लपेटकर कट्टे में डालकर मोटर साईकिल से ले जाकर ग्राम मूढा पुख्ता के पास रामगंगा नदी में फेंक दिया था। अमित उर्फ सुमित की लाश की पहचान न हो सके इसीलिए मैंने उसके आधार कार्ड को अपने पास रख लिया था। मोबाइल भी रामगंगा नदी में फेंक दिया था। तथा मैंने घटना में प्रयुक्त सरिया को अपने खेत में झोपडी में छिपा दिया था। जो वहाँ से निकालकर आपको दे दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजपाल पुत्र हजारी निवासी ग्राम नवदिया थाना दातागंज जिला बदायूँ

बरामदगी का विवरण-\*एक अदद आलाकत्ल लोहे का सरिया व आधार कार्ड

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय-

ग्राम पडेली तिराहे से, दि०- 03.04.2024 समय 05.10 बजे

अपराध करने का तरीका- अभि०गण द्वारा रात्रि में फोन करके बुलाना तथा लोहे की रॉड से मृतक अमित के सिर पर वार करना व उसके बाद गला घोट कर हत्या कर रामगंगा में फेंक देना।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।